



Rashtradoot

"The Crow and the Pitcher" is a true story. The studies reveal that crow drops pebbles into the pitcher and raises the water level high enough to drink, and this has been tested out

Why Is This Simple Saree on Display at the World's Largest Museum?

केरल सरकार ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 20 साल पुराने मामले में विजिलैंस जांच के आदेश दिये

यह मामला उनके पीडब्ल्यूडी सचिव के कार्यकाल का है तथा मलेशिया के सिविल इंजीनियर की आत्महत्या से जुड़ा है

तिरुवनंतपुरम, 04 अक्टूबर। केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्नियला ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े मामले की विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। यह मामला 2006 में राज्य के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के सचिव के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान हुई अनियमितताओं के आरोपों से जुड़ा है। मामला मलेशियाई सिविल इंजीनियर ली की आत्महत्या से संबंधित है, जो केरल राज्य परिवहन परियोजना के तहत एमसी रोड के अपग्रेडेशन में शामिल पीएटीआई-बीईएल कंसोर्टियम से जुड़े थे। मंत्री ने दावा किया कि इंजीनियर के सुसाइड नोट में ज्ञानेश कुमार के नाम का जिक्र था।

■ केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्नियला ने कहा कि उन्हें मिली शिकायत में कुछ गंभीर मुद्दों का जिक्र है इसलिये उन्होंने विजिलैंस डायरेक्टर को सभी आरोपों की गहन जांच करने का निर्देश दिया है।

राज्य के गृह मंत्री रमेश चेन्नियला ने विजिलेंस डायरेक्टर को सीधे निर्देश दिए हैं कि वे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़े मामले में सभी आरोपों की गहन जांच करें और जांच के नतीजों के आधार पर उचित कार्रवाई करें।

केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्नियला ने कहा, “कल काॅग्रेस कार्यकर्ता मलथिनकीडु वेणुगोपाल ने मुझे ज्ञानेश कुमार के पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी रहने के

दौरान हुई गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार के बारे में एक शिकायत सौंपी। इस शिकायत में कुछ गंभीर मुद्दों का जिक्र है। इसी दौरान मलेशियाई प्रोजेक्ट इंजीनियर ली ने आत्महत्या की थी। सुसाइड नोट में पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी ज्ञानेश कुमार का साफ तौर पर जिक्र किया गया है। इसलिए सरकार चुप नहीं बैठ सकती। मैं मूकदर्शक नहीं बन सकता। मैंने इसे विजिलेंस डायरेक्टर के पास भेजना मेरा फ़र्ज है। मैंने वही किया है।

की डिटेल में जाएं और न्याय दिलाने के लिए कानूनी कार्रवाई करें।

रमेश चेन्नियला ने साफ किया कि यह कोई राजनीतिक बदले की भावना नहीं है। बेशक, हम सब चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं। ज्ञानेश कुमार भाजपा और केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। एसआईआर और दूसरे मुद्दे भी हैं। हम उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन यह मामला अलग है। एक मंत्री के तौर पर डिटेल में जाना मेरी जिम्मेदारी है और अगर कोई संज्ञेय अपराध हुआ है तो आगे की जांच के लिए इसे विजिलेंस डायरेक्टर के पास भेजना मेरा फ़र्ज है। मैंने वही किया है।

जीएसटी अधिकारियों से छिन सकता है गिरफ्तारी का अधिकार

नई दिल्ली, 04 अक्टूबर। जीएसटी काउन्सिल जीएसटी लागू करने के तरीकों को पूरी तरह बदलने जा रही है। सात अक्टूबर को जीएसटी काउन्सिल की बैठक में अगर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो टैक्स अधिकारियों से गिरफ्तारी का अधिकार

■ सात अक्टूबर को जीएसटी काउन्सिल की बैठक में अभियोजन की सीमा बढ़ाने सहित कई प्रस्तावों पर चर्चा होगी।

छीन लिया जाएगा। अगर किसी मामले में गिरफ्तारी जरूरी है तो इसके लिए कोर्ट का आदेश आवश्यक होगा। इसके अलावा अभियोजन की सीमा एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है, ताकि आपराधिक प्रक्रिया उन मामलों तक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग आगे सरकाया

नई दिल्ली, 04 अक्टूबर। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की इंडिया गठबंधन की योजना फिलहाल टल गई है। विपक्षी गठबंधन ने पिछले सप्ताह ही नया प्रस्ताव लाने की तैयारी की थी, लेकिन अब इसे कुछ समय के लिए

■ नेताओं का मानना है कि फिलहाल चुनाव आयोग के खिलाफ आंदोलन पर ध्यान देंगे।

रोकने का फैसला किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, मौजूदा समय में कथित वोट चोरी, एसआईआर और चुनाव आयोग के खिलाफ चल रहे आंदोलन से ध्यान नहीं भटक, इसलिए नवंबर में नया नोटिस देने की तैयारी है।

सूत्रों के मुताबिक, इंडिया गठबंधन के नेताओं में राय बनी कि फिलहाल विपक्ष को ऐसे जमीनी आंदोलनों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और चुनाव आयोग के खिलाफ (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत और रुस के बीच लंबे समय से भरोसे का रिश्ता है- जयशंकर

विदेश मंत्री न कहा कि जब अमेरिका भारत के खिलाफ युद्धपोत भेज रहा था, रुस ने अपनी नौसेना भेजी थी

नई दिल्ली, 04 अक्टूबर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और रुस के रिश्तों पर बात करते हुए यूरोपीय देशों को स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि हर देश अपने अनुभवों के आधार पर दूसरे देशों के साथ संबंध तय करता है। जिस तरह यूरोप रुस को लेकर भारत के नजरिये से फैसला नहीं कर सकता, उसी तरह भारत भी रुस के साथ अपने रिश्तों को यूरोप के नजरिये से नहीं देख सकता। जयशंकर ने कहा कि भारत का रुस के साथ अनुभव सकारात्मक रहा है और दोनों देशों के बीच लंबे समय से भरोसे का रिश्ता है।

जर्मनी में एक कार्यक्रम के दौरान जयशंकर ने भारत और रुस के पुराने संबंधों का जिक्र किया। उन्होंने 1950 के दशक की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस दौर में पश्चिमी देश पाकिस्तान की सैन्य तानाशाही वाली सरकार का समर्थन कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने

■ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अमेरिका और चीन की बढ़ती प्रतिस्पर्धा के दौर में दुनिया के देशों को संतुलन बनाकर चलना होगा।

1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध का भी जिक्र किया। जयशंकर के मुताबिक, उस समय जब अमेरिका ने भारत के खिलाफ अपने युद्धपोत भेजने का फैसला किया था, तब सोवियत संघ ने भी अपनी नौसेना भेजी थी। इन घटनाओं ने भारत और सोवियत संघ के बीच भरोसे को मजबूत किया।

जयशंकर ने कहा कि भारत और रुस की साझेदारी समय के साथ और मजबूत हुई। सत्र और अस्सी के दशक में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ा। इसमें सैन्य सहयोग, परमाणु क्षेत्र और व्यापार शामिल थे। उन्होंने कहा कि भारत और रुस के संबंध समय के साथ बदलते रहे हैं। आज भी सैन्य हथियार और परमाणु क्षेत्र से जुड़ी

सामग्री दोनों देशों के सहयोग का हिस्सा है, लेकिन अब उनके बीच बड़े पैमाने पर व्यापार भी होता है। रुस आज भी भारत के लिए कच्चे तेल के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में शामिल है। रुस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देश भारत पर सवाल उठाते रहे हैं। जयशंकर पहले भी इस मुद्दे पर भारत का पक्ष रख चुके हैं और यूरोपीय देशों के रवैये पर सवाल उठा चुके हैं। इसी विवाद के बीच अमेरिका ने भारत पर शुल्क भी लगाया था। भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी कदम को अनुचित और बेबुनियाद बताया था। भारत का पक्ष रहा है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों और जरूरतों के आधार

पर फैसले लेता है। इतना ही नहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका और चीन की चाल पर भी विस्तार से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के दौर में दुनिया के देशों को संतुलन बनाकर चलना होगा। म्यूनिख लीडर्स मीटिंग में उन्होंने कहा कि उपरती और मध्यम ताकतों को किसी एक खेमे के साथ पूरी तरह जुड़ने के बजाय अपने हितों के हिसाब से फैसले लेने चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात में दो बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं। पहला, अमेरिका की रणनीति में बड़ा बदलाव आया है। अमेरिका एक तरह से जानबूझकर अकेले चलने वाली ताकत बन गया है। दूसरा बदलाव चीन का बढ़ता प्रभाव है। उन्होंने कहा कि इन दोनों देशों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही है।

पाकिस्तान के लिये जासूसी करने के आरोप में दो गिरफ्तार

गुवाहाटी, 04 अक्टूबर। असम में, पाकिस्तान को सेना से जुड़ी जानकारी देने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें सेना का एक रिटायर्ड जवान भी शामिल है। साथ ही

■ गुवाहाटी में गिरफ्तार युवक के पास आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए।

बिहार निवासी अभिषेक कुमार सिंह को भी जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। खुफिया जानकारी के आधार पर, 3 और 4 अक्टूबर की रात को असम एसटीएफ ने एक अभियान चलाया और अभिषेक कुमार सिंह (31) को गुवाहाटी के सातगांव पुलिस स्टेशन के तहत गांधीनगर में एक किराए के घर से गिरफ्तार किया। वह मूल रूप से बिहार के पूर्वी चंपारण का रहने वाला है। अभियान के दौरान, उसके पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद और जब्त किए गए। शुरुआती जांच में जासूसी से जुड़ी गतिविधियों में उसकी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चुनाव आयोग विवाद में सुप्रीम कोर्ट आज दो याचिकाओं पर सुनवाई करेगा

याचिकाओं में मुख्य चुनाव आयुक्त को निलंबित करने तथा एकतरफा लिये गये 14 फैसले रद्द करने की मांग की गई है

नई दिल्ली, 04 अक्टूबर। चुनाव आयोग से जुड़े विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को अहम सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर दो रिट याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि एसआईआर से जुड़े करीब 14 फैसले अन्य दो चुनाव आयुक्तों की कथित असहमति के बावजूद लिए गए। मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमला बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ करेगी।

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, ये याचिकाएं उन खबरों के आधार पर दाखिल की गई हैं, जिनमें कहा गया है

■ सर्वोच्च न्यायालय में पहली याचिका रमेश कुमार सिंह तथा दूसरी याचिका वकील शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी की ओर से दायर की गई है।

कि अन्य दो चुनाव आयुक्तों, सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी, की आपत्तियों के बावजूद ईसीआई के नाम पर करीब 14 फैसले लिए गए। याचिकाओं के मुताबिक, दोनों चुनाव आयुक्तों ने अक्टूबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच एसआईआर के अलग-अलग चरणों को लेकर कम से कम 14 आपत्तियां दर्ज कराई थीं।

रमेश कुमार सिंह की ओर से दाखिल एक याचिका में मांग की गई है

कि यह स्पष्ट किया जाए कि भारत निर्वाचन आयोग, जो एक बहु-सदस्यीय निकाय है, उसके फैसले एकतरफा तरीके से नहीं लिए जा सकते। याचिकाकर्ता ने आयोग के मूल रिकॉर्ड की जांच की भी मांग की है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि विवादित कदम संवैधानिक और कानूनी ढांचे के मुताबिक उठाए गए थे या नहीं। याचिका में अंतरिम राहत के तौर पर मुख्य चुनाव (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुख्यमंत्री आज नवनिर्वाचित निकाय प्रमुखों से संवाद करेंगे

जयपुर, 4 अक्टूबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को प्रदेश के नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित महापौर, उपमहापौर, सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद

■ वे निकाय के पहले 100 दिनों की कार्ययोजना पर चर्चा करेंगे।

करेंगे। इस दौरान निकायों की पहले 100 दिनों की कार्ययोजना के साथ नगरीय विकास, स्वच्छता, पाना, बिजली और अन्य जनसुविधाओं पर चर्चा होगी।

मुख्यमंत्री ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर अधिकारियों के साथ बैठक में कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने की है। शहरों में स्वच्छता, सड़क, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, यातायात और पार्किंग सहित मूलभूत सुविधाओं के विकास तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के लिए विस्तृत रोडमैप तैयार किया जा रहा है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने आयकर विभाग को निर्देश दिए हैं कि परिवादी से आय को लेकर चल रहे विवाद में 20 प्रतिशत से ज्यादा की राशि वसूली गई है, उसे लौटाएं। अदालत ने कहा कि कानूनी प्रावधान यही है कि विवादित आय के प्रकरणों में इनकम टैक्स विभाग विवादित रकम की 20 प्रतिशत राशि ही बतौर सुरक्षा वसूल सकता है, जब विवाद का निपटारा होगा तब या तो आयकर विभाग पूरी राशि वसूलगा या फिर परिवादी से ली गई सुरक्षा राशि लौटाएगा।

न्यायाधीश अरूण मोंगा व आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश योगेश चौधरी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ रांका व सत्त्विका झा पैरवी के लिए पेश हुए थे।

अदालत में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि, आयकर विभाग ने वर्ष

■ अदालत ने आदेश दिए कि, “अतिरिक्त वसूली गई रकम की गणना करके शेष राशि ब्याज के साथ 6 सप्ताह में परिवादी को लौटाई जाए।”

■ याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में बताया गया कि, “आयकर आयुक्त ने 20 प्रतिशत से ज्यादा की वसूली गई रकम को लौटाने के बजाय आगामी वर्षों में समायोजित करने के लिए कहा था।”

2018-19 में गणना करते हुए पीछित योगेश चौधरी की सालाना आय 5.39 करोड़ बतायी थी। विभाग ने 2.78 करोड़ रुपए की टैक्स डिमांड का नोटिस जारी किया। जिस पर परिवादी ने आयकर आयुक्त के समक्ष अपील करते हुए इसे चुनौती दी। जब यह मामला लंबित था, उसी बीच 17 अगस्त 2023 को आयकर विभाग ने स्पष्टीकरण दिया कि, परिवादी ने 80.50 लाख रुपए टीडीएस जमा करवा रखा है, साथ ही उसे 64.05 लाख रुपए गत वर्षों का रिफंड मिला हुआ है। यह रकम आयकर

विभाग के ही सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (सीपीसी) ने गणना करके दिया है। विभाग की ओर से कहा गया कि, यह रकम आयकर विभाग को प्राप्त है, ऐसे में अब सिर्फ 1.35 करोड़ रुपए ही बकाया टैक्स है। परंतु याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि, प्राथमिक गणना में बतायी गई 2.78 करोड़ रुपए की विवादित डिमांड राशि 2 करोड़ रुपए है। याचिकाकर्ता ने कहा कि, 2 करोड़ रुपए की इस विवादित आय के बदले में विभाग ने जो रिकवरी की है, वह 73.96 लाख रुपए है, जो कि 37

प्रतिशत राशि है। जबकि विभाग कानूनी रूप से विवादित राशि का सिर्फ 20 प्रतिशत हिस्सा ही सुरक्षा के तौर पर रिकवर कर सकता है। ऐसे में शेष 17 प्रतिशत राशि उसे लौटाई जाए।

आयकर आयुक्त ने 24 जुलाई 2025 को सुनवाई में यह तथ्य तो

रिकॉर्ड पर माना कि, 20 प्रतिशत राशि कानूनी रूप से जमा है, इसके अलावा बताई गई 17 प्रतिशत राशि को आगामी वर्षों में समायोजित कर लिया जायेगा। याचिकाकर्ता ने आयकर आयुक्त के इस फैसले को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिस पर न्यायाधीश अरूण

और तेज हुआ दिल्ली में ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आंदोलन

■ प्रदर्शनकारियों की जंतर मंतर की ओर बढ़ने की कोशिश पुलिस ने नाकामयाब की।

बलों ने भारी तैनाती कर उन्हें रोका। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया

नई दिल्ली, 04 अक्टूबर। राजधानी दिल्ली में रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन तीसरे दिन भी तेज हो गए। आप कार्यकर्ता, एआईएसए, एनएसयूआई और अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं ने जंतर-मंतर की ओर मार्च करने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक